(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एककों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कितनी धनराशि जुटाई जायेगी?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने (i) गुजरात में कृषि संसाधन क्षेत्र के संबंध में एक संभाव्य अध्ययन तथा (ii) 6 राज्यों में कृषि अपशिष्ट पर आधारित पैकेजिंग सामग्री के संबंध में उत्पाद अध्ययन किया था। गुजरात में कृषि संसाधन का संभाव्य अध्ययन गुजरात इंडस्ट्रियल एंड टेकनिकल कंसलटेन्सी आर्गनाइजेशन लि॰ (जीआईटीसीओ), अहमदाबाद के माध्यम से किया गया था, जिसमें राज्य के 6 जिलों अर्थात साबरकंठा, सूरत, वलसाड़, भावनगर, खेड़ा तथा जूनागढ़ को शामिल किया गया था। नाबार्ड ने यह सूचित किया है कि कृषि अपशिष्ट पर आधारित पैकिंग सामग्री से संबंधित उत्पाद अध्ययन इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के माध्यम से कराया गया था और इस अध्ययन में केरल, असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य शामिल थे।

(ग) बैंकों का उन्हें प्रस्तुत की गई विशिष्ट योजनाओं की तकनीकी संभाव्यता और वित्तीय अर्थक्षमता के बारे में अपनी तसल्ली करने के बाद ऊपर उल्लिखित दोनों अध्ययनों में पता लगाई गई संभाव्यता के लिए ऋण सहायता प्रदान करनी होगी। बैंक, अपने विवेकानुसार, ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु पुनर्वित्त सुविधाओं के लिए नाबार्ड से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने 13 राज्यों में कृषि संसाधन कारोबार हेतु 1996-97 के लिए 3318 लाख रुपये आबंटित किए हैं, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1996-97 के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कृषि संसाधन कारोबार के लिए राज्य वार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण।

राज्य	कृषि संसाधन के तहत पुनर्वित्त आबंटन (लाख रुपए)
1	2
हरियाणा	212
पंजाब	537
राजस्थान	230
नागालैण्ड	15
त्रिपुरा	65
उड़ीसा	300
उत्तर प्रदेश	430
गुजरात	140
महाराष्ट्र	316
आंध्र प्रदेश	107
कर्नाटक	279
केरल	289
तमिल नाडु	398
योग	3318

Central Council of Homoeopathy's decision to admit Sambalpur College Students

2265. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Central Council of Homoeopathy has taken a decision for admiting the students of Sambalpur college in Utkalmani Homoeopathy Medical College, Rourkela for the year 1996-97; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) The Executive Committee of the Central Council of Homoeopathy in its meeting held on 4.1.1996 has recommended that in view of poor facilities in Orissa Medical College of Homoeopathy, Sambalpur, the students undergoing BHMS course therein be migrated to Utkalmani Homoeopathic Medical College, Rourkela and no new students be admitted in Ist BHMS Course in the college at Sambalpur.

The Central Council in its meeting held on 14-15 March, 1996 agreed with the recommendation of the Executive committee. This decision of the Central Council of Homoeopathy has been communicated to the

Government of Orissa. Sambalpur University and Homoeopathic Colleges at Sambalpur and Rourkela on 28.6.1996.

सूरत में विमान पत्तन का निर्माण

2266. **श्री रामजीलाल:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की गुजरात के सूरत शहर में एक विमान पत्तन बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक बनाया जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार सूरत आने-जाने वाले व्यापारियों और अन्य लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इस संबंध में सर्वेक्षण कराएगी, और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी॰ एम॰ इब्राहीम): (क) से (घ) जी, नहीं। सूरत शहर में पहले ही एक हवाई अड्डा है जिसकी क्षमता छोटे (30 सीट वाले) विमान को हैंडल कर सकने की है। यह हवाई अड्डा गुजरात सरकार का है।

रक्त बैंकों के कार्यकरण की जांच के लिए समिति का गठन

2267. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों के कार्यकरण को समझने और उनके सुधार के लिए सुझाव देने के लिये कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रक्त बैंकों में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(घ) जन-स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा संचालित रक्त बैंकों के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में कुछ रक्त बैंकों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) और (ख) सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित नहीं की है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, देश में रक्ताधान सेवाओं में सुधार करने की दृष्टि से सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सभी रक्त बैंकों को आधुनिक बनाया जा रहा है और रक्त निरापदता कार्यक्रम के अन्तर्गत वे नकद और सामग्री अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। विमुक्त किए गए अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

1993-94	:	3.22 करोड़ रुपए
1994-95	:	6.06 करोड़ रुपए
1995-96	:	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 35.14 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि विमुक्त की गई जिसमें रक्त निरापदता के अन्तर्गत प्रावधान भी शामिल है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

Rights Issue on U.S. 5000 Scheme by UTI

2268. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether UTI offered Rights Issue on its U.S. 5000 scheme in November-December, 1995, at the face value of Rs. 10/- per share on 1:1 basis;

(b) if so, the number of cases in Delhi where applications were rejected;

(c) whether the Unit holders whose applications were rejected were informed and the time taken in doing so;

(d) whether they were given another chance for rectifying the lapse for rjection if not, the reasons therefor;

(e) whether the unutilised Right Issue is allotted to the employees of UTI, if so, the reasons therefor; and

(f) the steps taken to rectify the same?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) (a) Yes, Sir.

(b) 332 applications for rights offer were rejected by the Delhi office of UTI.